न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–41/24–25

मसो0 कुन्ती देवी वगै0 बनाम संतोष यादव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16.10.25	अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के पत्रांक–532, दिनांक–25.07.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के न्यायालय के विविध वाद संख्या–08/2023–24 मोहन महतो बनाम संतोष यादव वगै0 से संबंधित मूल अभिलेख मौजा–मुड़िया, थाना नं0–219, खाता संख्या–04, 05, प्लॉट संख्या–59, 29 रकवा–1.62 $^{1}/_{2}$ ए0 भूमि के संदर्भ में अनुशंसा के साथ अभिलेख इस न्यायालय में उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु इस द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में इस न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2022–23 को इस अभिलेख के साथ संलग्न किया गया है। प्रथम पक्ष मोहन महतो का मृत्यु होने के कारण इस वाद में उनके वारिसानों यथा मसो0 कुन्ती देवी, पति–स्व0 मोहन महतो, राम रतन यादव, बिरजु यादव, पिन्टु यादव, उर्मिला देवी, रिता देवी, पिता–स्व0 मोहन महतो को प्रतिस्थापन्न किया गया है तथा आदित्य यादव, महावीर यादव, दोनो के पिता–स्व0 बैजु महतो को हस्तक्षेपक के रूप में पक्षकार है। **प्रथम पक्ष के लिखित कथन का सारांश है कि–** "दाखिल खारिज वाद संख्या 256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जो अपील वाद संख्या–03/2022–23 मोहन महतो बनाम संतोष यादव वगै0 से संबंधित मामले में दिनांक–15.02.2023 को इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वापस किया गया था। तदनुसार अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा विविध वाद संख्या–08/2023–24 मोहन महतो बनाम संतोष यादव वगै0 से संबंधित मूल अभिलेख इस न्यायालय को खारिज वाद संख्या 256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 को रद्द करने की अनुशंसा तथा सम्पूर्ण प्रश्नगत भूमि का तीन बराबर हिस्से के अनुसार उतराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष (दोनों पक्ष) तुला महतो, पिता–तुफी महतो, गांव–मैराग खुर्द थाना–अंचल प्रतापपुर जिला चतरा के ही वंशज हैं। यह है कि भूमि खाता संख्या 04 प्लॉट संख्या 59 रकवा 1.43 एकड़ में से रकवा– 1.5 ½ एकड़ खाता संख्या 05 प्लॉट संख्या 29 रकवा–00.57 एकड़ कुल रकवा–1.62 ½ एकड़ मोहन महतो के पिता–तुला महतो, पिता–तुफी महतो द्वारा खरीदी गई जमीन पर खास दखल कब्जा एवं कृषि	

Scanned with OKEN Scanner

कार्य करते आ रहे है। अंचल अधिकारी द्वारा तुला महतो के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत करते हुए लगान स्वीकृत कर रसीद निर्गत की गई है। यह है कि तुला महतो एवं उनके दो भाई धमंडी महतो एवं मुखाई महतो संयुक्त परिवार के सदस्य थे जो अपने परिवार के पूर्वज से प्राप्त तथा खरीदगी भूमि पर समान रूप सह–हिस्सेदार थे। कुछ समय के बाद तुफी महतो के पुत्रों तुला महतो, धमंडी महतो एवं मुखाई महतो के बीच आपसी सहमति से पूर्वज से प्राप्त तथा खरीदगी भूमि का बंटवारा हुआ, जिसमें खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा–1.5 ½ एकड़ खाता संख्या 05 प्लॉट संख्या 29 रकवा–00.57 एकड़ कुल रकवा–1.62 ½ एकड़ भूमि का बंटवारा तीन बराबर हिस्सा में हुआ। इस दौरान तुला महतो के पुत्र मोहन महतो एवं मलुकान महतो के बीच आपसी सहमति से बंटवारा हुआ, जिसमें मलुकान महतो को खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा–1.5 ½ एकड़ भूमि मे से रकवा–0.35 ½ एकड़ भूमि तथा खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–29, रकवा–0.57 एकड़ भूमि में से रकवा– 0.19 एकड़ भूमि हिस्सा हुआ उसी तरह मोहन महतो को खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा– 1.5½ एकड़ भूमि मे से रकवा–0.35 ½ एकड़ भूमि तथा खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–29, रकवा–0.57 एकड़ भूमि में से रकवा–0.19 एकड़ भूमि हिस्सा हुआ एवं अपने–अपने हिस्से पर मोहन महतो एवं मुलकान महतो दखलकार हुए। यह है कि मलुकान महतो अपने दो पुत्र संतोश यादव एवं चंद्रिका यादव को छोड़कर मृत हुए। संतोश यादव एवं चंद्रिका यादव अपने पिता की सम्पति पर उत्तराधिकारी हुए। मार्च 2022 में पता चला कि संतोश यादव एवं चन्द्रिका यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा–1.5½ एकड़ खाता संख्या 05 प्लॉट संख्या 29 रकवा–00.57 एकड़ कुल रकवा–1.62½ एकड़ भूमि दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया है तो प्रथम पक्ष के पुत्र रामरतन यादव के द्वारा आपति आवेदन दायर किया गया परन्तु अंचल अधिकारी, प्रतापपुर बिना आपति आवेदन पर विचार किये हुए ही विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया था। यह है कि दिनांक–09.12.1980 को मोहन महतो के द्वारा खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–62, रकवा–0.15 एकड़ भूमि सुशील कुमार दता मिश्रा से निबंधित सेल डीड 5477/1980 के माध्यम से क्रय की गई है, जिससे स्पष्ट है कि मोहन महतो के पिता–तुला महतो थे। यह है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट से भी स्पष्ट है कि मोहन महतो के पिता तुला महतो है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक–728, दिनांक–31.12.2022 में भी अंकित है कि तुला महतो के दो पुत्र थे मलुकान महतो एवं मोहन महतो। यह है कि खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा–0.04 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष मोहन महतो के वंशज का आवासीय मकान बना हुआ है। प्रथम पक्ष के द्वारा नामांतरण वाद संख्या 256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 को रद्द करने तथा प्रश्नगत भूमि का तीन बराबर हिस्से के अनुसार उतराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन का सारांश है कि– द्वितीय पक्ष का दावा है कि खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–59, रकवा–1.43 एकड़ मध्ये 1.5 1/2 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–29 रकवा–0.57 एकड़ कुल रकवा–1.62 एकड़ निबंधित केवाला संख्या–2747 दिनांक–16.08.1969 ई0 तुला महतो पिता तुफी महतो, साकिन/मौजा–गैराग, जिला–चतरा के नाम से खरीद की गई जमीन है। खरीदगी जमीन पर तुला महतो अपने जीवन काल तक काबिज दखलकार रहे तथा फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। तुला महतो अंचल प्रतापपुर में दाखिल खारिज हेतु आवेदन देकर अपने निबंधित केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करवाकर सरकार को लगान देकर मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। तुला महतो अपने वारिसान के रूप में एक मात्र मलुकन यादव को अपने वारिसान के रूप में छोड़कर मरे तथा मलुकन यादव अपने वारिसान के रूप में दो पुत्र छोड़कर मरे, जिनका नाम संतोश यादव एवं चन्द्रिका यादव है, जो इस वाद में विपक्षीगण है। विपक्षीगण अपने दादा के नाम से खरीदगी जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि विपक्षीगण के दादा तुला महतो अपने जीवन काल में प्रश्नगत जमीन के अलावे अन्य जमीन भी निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये है। यह कि महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना है कि विपक्षी संख्या–01 एवं 02 के बीच में पारिवारीक बंटवारा दिनांक–14.02.2022 को आपस में कर लिये तथा पारिवारिक बंटवारा के आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर आपसी सहमति के माध्यम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज नामान्तरण के आदेश पारित करते हुए दोनों के पृथक–पृथक जमाबंदी खोला गया तथा दोनों अपने–अपने रकवा के अनुसार सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा मनगढ़त बातों के आधार पर दाखिल खारिज अपील वाद लाया गया था। मोहन महतो, तुला महतो के वंशज में नहीं हैं, बल्कि बाहरी व्यक्ति हैं तथा मोहन महतो का पिता का संबंध तुला महतो से दूर–दूर का भी नहीं है। बैजु महतो, घमण्डी महतो का पुत्र है, जिसका उल्लेख निबंधित केवाला दिनांक–17.12.1957 के केवाला में बैजु महतो के पिता के नाम घमण्डी महतो उल्लेख किया गया है। मोहन महतो गलत तरीके से अपने को तुला महतो के वंशज होने का दावा किया है, जो बिल्कुल निराधार है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि मोहन महतो, तुला महतो के वंशज में नहीं है, बल्कि महतो, घमण्डी महतो के वंशज में है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का अनुशंसा को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि स्थानीय लोगों से वंशावली से संबंधित पुछ–ताछ किया गया तथा पूर्व स्थानीय मुखिया एवं वर्तमान मुखिया द्वारा लिखित वंशावली का अवलोकन किया गया है। अंचल अधिकारी के अनुसार जमाबंदी रैयत तुला महतो तीन भाई थे। घमंडी महतो, तुला महतो एवं बुधाई महतो। घमंडी महतो के एक मात्र पुत्र बैजु महतो थें। घमंडी महतो की मृत्यु के

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात् उनकी पत्नी ने तुला महतो से शादी किये, जिनके दो पुत्र मलुकन महतो एवं मोहन महतो हुए। तुला महतो ने अपनी पुरी सम्पति बैजु महतो, मलुकन महतो तथा मोहन महतो के बीच बा–हिस्सा बराबर बॉट दिए जो आज तक कायम है। इस बात की पुष्टि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी किया गया है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के आदेश पत्रक के अनुसार उक्त मामले में दिनांक–09.02.2024 को मैरामखुर्द में प्रखण्ड 20 सुत्री अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर, मुखिया पति एवं स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राम सभा आयोजित किया गया है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि तुला महतो के नाम से जो सम्पति है, उसमें तीनों भाईयों बैजु महतो, मलुकन महतो एवं मोहन महतो का बराबर–बराबर हिस्सा है। **अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा तुला महतो के नाम से कायम जमाबंदी से संबंधित प्रश्नगत भूमि मौजा–मुड़िया, खाता संख्या–4, 5, प्लॉट सं0–59, 29 कुल जमा रकबा–1.62½ एकड़ भूमि का तीन बराबर हिस्सा के अनुसार स्वीकृत करने तथा दाखिल खारिज वाद संख्या–256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 को रद करने हेतु अनुशंसा किया गया है।**

उपरोक्त उभय पक्षों के कथन एवं अचंल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश के आधार निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते है :–

➢ मौजा–मुड़िया, खाता संख्या–4, 5, प्लॉट सं0–59, 29 कुल जमा रकबा–1.62½ एकड़ भूमि का जमाबंदी पूर्व के जमाबंदी रैयत तुला महतो, पिता–तुफी महतो के नाम से पृ0सं0–88/2 पर कायम है।

➢ दाखिल खारिज वाद संख्या–256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 के आधार पर **चन्द्रीका यादव, पिता–मलुकन यादव के पक्ष में खाता सं0–04,** प्लॉट संख्या–59, **रकबा–52.75** डी0, **खाता सं0–05,** प्लॉट संख्या–29, **रकबा–28.50** डी0 **कुल 81.25 डी0 भूमि** का पृ0सं0–7/3 पर **तथा संतोष कुमार यादव, पिता–मलुकन यादव के पक्ष में खाता स0–04,** प्लॉट संख्या–59, **रकबा–52.75** डी0, **खाता सं0–05,** प्लॉट संख्या–29, **रकबा–28.50** डी0 **कुल 81.25 डी0 भूमि का** पृ0सं0–6/3 पर कायम किया गया है।

➢ मोहन महतो के द्वारा तुला महतो का पुत्र होने के आधार पर उक्त दाखिल खारिज वाद में आपति दायर किया गया है।

➢ अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा तुला महतो के नाम से कायम जमाबंदी से संबंधित प्रश्नगत भूमि मौजा–मुड़िया, खाता संख्या–4, 5, प्लॉट सं0–59, 29 कुल जमा रकबा–1.62½ एकड़ भूमि का तीन बराबर हिस्सा के अनुसार स्वीकृत करने तथा दाखिल खारिज वाद संख्या–256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 को रद करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

➢ अभिलेख में केवाला संख्या–5477 वर्ष 1980 एवं केवाला संख्या–5467 वर्ष 1980 की प्रति संलग्न करते हुए प्रथम पक्ष के द्वारा मोहन महतो के पिता तुला महतो होने का साक्ष्य समर्पित किया गया है।

Pull c
04-03-

Scanned with OKEN Scanner

➢ जिला निबंधन कार्यालय, चतरा के पत्रांक–321, दिनांक–06.10.2025 के द्वारा उक्त केवाला का सत्यापन किया गया है एवं प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय में केवाला संधारित है। **निबंधित केवाला में मोहन महतो के पिता का नाम तुला महतो दर्ज है।**

उपरोक्त तथ्यों, विवेचनाओं से स्पष्ट है कि उक्त वाद में विवाद का मुख्य कारण मोहन महतो के पिता–तुला महतो होने संबंधी मामले के मद्देनजर है। आयोजित ग्राम सभा में मोहन महतो को तुला महतो का पुत्र होने संबंधी तथ्य पर सहमति जताया गया है। जिला निबंधन कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन के क्रम में निबंधित केवाला में मोहन महतो के पिता का नाम तुला महतो दर्ज है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से तुला महतो के नाम से कायम जमाबंदी से संबंधित प्रश्नगत भूमि मौजा–मुड़िया, खाता संख्या–4, 5, प्लॉट सं0–59, 29 कुल जमा रकवा–1.62½ एकड़ भूमि का तीन बराबर हिस्सा के अनुसार स्वीकृत करने तथा दाखिल खारिज वाद संख्या–256R/2021–22 एवं 257R/2021–22 को रद्द करने हेतु प्राप्त अनुशंसा को सम्पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय अभिलेख अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को भेजें। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायायल में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.11.24 16:44:49 +05:30
Location: fe80::db76:2711:1513:165a%13

Scanned with OKEN Scanner